**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा**

**दांडिक अपील क्रमांक 790 वर्ष 2005**

अशोक कुमार चौहान व अन्य

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

**विचार हेतु निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**न्यायमूर्ति**

**दिनांक 03-09-2012**

**माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति**

मैं सहमत हूँ

**सही/-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायमूर्ति**

दिनांक 04-09-2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

**सही/-**

**आर. एस. शर्मा**

**न्यायमूर्ति**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा**

**दांडिक अपील क्रमांक 790 वर्ष 2005**

अपीलार्थीगण

1. अशोक चौहान,

आत्मज बिहारी चौहान,

आयु लगभग 45 वर्ष

2. भवानी चौहान,

आत्मज श्याम सुंदर चौहान,

आयु लगभग 20 वर्ष

दोनों निवासी- जेल के पीछे,

रायगढ़,जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

---

उपस्थित: श्री एन.के. मेहता, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्रीमती मधुनिषा सिंह, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

---

**दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील**

**निर्णय**

(दिनांक 4 सितंबर, 2012 को पारित)

**राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति**: के अनुसार

यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 72/2004 में पारित निर्णय दिनांक 13-09-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त व्यक्तियों / अपीलार्थीगण अशोक चौहान और भवानी चौहान को दोषसिद्ध किया गया है और दंडादेश के कारावासों को साथ-साथ चलने के निर्देश के साथ निम्नलिखित रीति से दंडादिष्ट किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| **दोषसिद्धि** | **दंडादेश** |
|---|---|
| भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत | आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास। |
| भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत | आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास। |
| भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत | 1 वर्ष सश्रम कारावास और 500/- रुपये |

अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत — 1 वर्ष सश्रम कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

भा.दं.सं. की धारा 323/34 के तहत — 6 माह सश्रम कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भा.दं.सं. की धारा 323/34 के तहत — 6 माह सश्रम कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, निम्नानुसार है:

मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) अपनी पत्नी चमेलीबाई (अ.सा.-7), पुत्र ज्ञानेश्वर (मृतक), गुड्डू (अ.सा.-2) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रायगढ़ जेल के पीछे निवास कर रहा था। अपीलार्थी अशोक चौहान, मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) का पड़ोसी था। मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) के परिवार के सदस्यों और अपीलार्थी अशोक चौहान के बीच पुरानी शत्रुता थी और एक प्रकरण न्यायालय में भी लंबित था। दिनांक 05-03-2004 को रामदुलार और अपीलार्थी

भवानी चौहान ने न्यायालय में मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) के विरुद्ध साक्ष्य दिए थे। इस कारण मृतक ज्ञानेश्वर ने अपीलार्थीगण को अपशब्द कहे थे। दिनांक 07-03-2004 को लगभग रात्रि 1:30 बजे, अपीलार्थीगण ने मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) के घर पर पथराव किया। मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और उसका पुत्र गुड्डू (अ.सा.-2) घर से बाहर निकले। जैसे ही मैनेजर और उसका पुत्र गुड्डू (अ.सा.-2) बाहर आए, तो अपीलार्थीगण ने उन पर *लाठी* और *टांगी* (कुल्हाड़ी) से हमला किया। अशोक चौहान *टांगी* से और भवानी चौहान *लाठी* से सज्ज थे। उन्होंने मृतक ज्ञानेश्वर पर *लाठी* और *टांगी* से हमला किया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैनेजर (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) को भी क्षतियां कारित हुईं। इस घटना को चमेलीबाई (अ.सा.-7), रंभाबाई (अ.सा.-8) और सरिता (अ.सा.-3) ने देखा। मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) ने थाना कोतवाली, रायगढ़ में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-1) दर्ज कराई, जहाँ अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 152/2004 धारा 302/34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.-21) भी दर्ज की गई। मैनेजर (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) को चिकित्सीय परीक्षण हेतू किरोड़िमल शासकीय अस्पताल, रायगढ़ भेजा गया। डॉ. अनिल कुमार  कुशवाहा (अ.सा.-10) ने घायल गुड्डू (अ.सा.-2) का परीक्षण किया और अपने परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-15) में निम्नलिखित क्षतियां पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) सिर के दाहिने पश्चकपाल क्षेत्र पर 8x3x1 सेमी का फटा हुआ घाव, जिसमें रक्तस्राव हो रहा।

ii) बाईं आंख के बाहरी कोण के पार्श्व में 2x1x0.5 सेमी का फटा हुआ घाव, जिसमें रक्तस्राव हो रहा।

iii) दाहिनी कोहनी पर 4x3 सेमी का क्षति का निशान।

उनके अनुसार ये क्षतियां कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं। उन्होंने मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) का भी परीक्षण किया और अपने परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-16) में निम्नलिखित क्षतियां पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) दाहिने कंधे पर 2.5x2x1 सेमी का फटा हुआ घाव, जिसमें रक्तस्राव हो रहा था।

ii) बाएं हाथ पर 2.6x1x0 सेमी का फटा हुआ घाव, जिसमें रक्तस्राव हो रहा था।

विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचकर मृतक का पंचनामा (प्रदर्श पी.-22) तैयार किया और शव को शवपरीक्षण के लिए किरोड़ीमल सरकारी अस्पताल, रायगढ़ भेजा। डॉ. पी.के. मिश्रा (अ.सा.-9) ने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-20) दिया, जिसमें उन्होंने पाया:-

i) बाएं हाथ के ऊपरी भाग पर 4x2 सेमी का चीरा लगा हुआ घाव, किनारा साफ कटा हुआ और अर्धवृत्ताकार

ii) गर्दन के बाईं ओर 4x1 सेमी का चीरा लगा हुआ घाव

**iii)** बाएं ललाट-पार्श्व क्षेत्र में फटा हुआ घाव

**iv)** सिर के बाएं हिस्से में क्षति का निशान

**v)** खोपड़ी की बाईं ललाट हड्डी में अस्थिभंग

उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण सिर की क्षति के कारण उत्पन्न कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

आगे के अन्वेषण में, अपीलार्थी अशोक चौहान का ज्ञापन कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदर्श पी-3 के माध्यम से दर्ज किया गया और उसके बताए अनुसार प्रदर्श पी-7 के माध्यम से *टांगी* जब्त की गई। अपीलार्थी भवानी चौहान का ज्ञापन कथन भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदर्श पी-4 के माध्यम से दर्ज किया गया और उसके बताए अनुसार प्रदर्श पी-8 के माध्यम से *बहिंगा* जब्त किया गया। घटनास्थल से *तलवार*, ईंट के टुकड़े और सीमेंट जब्त किए गए (प्रदर्श पी-5), जो खून से सने हुए थे। घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जब्त की गई। अपीलार्थी अशोक चौहान की शर्ट (प्रदर्श पी-9) और अपीलार्थी भवानी चौहान की शर्ट व पेंट (प्रदर्श पी-10) जब्त किए गए। मौका नक्शा (प्रदर्श पी-23) तैयार किया गया। जब्त वस्तुओं को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के सुपुर्द कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध करते हुए दंडादिष्ट किया।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने तर्क दिया कि मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1), जिसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया था, उसने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। गुड्डू (अ.सा.-2) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। चमेलीबाई (अ.सा.-7) और रंभाबाई (अ.सा.-8) हितबद्ध साक्षी हैं। उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उनके कथनों में कई तात्विक विरोधाभास हैं। अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। अतः, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विद्यमान रहने योग्य नहीं है और अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने के पात्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिषा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र विचारण क्रमांक 72/2004 के अभिलेख का परिशीलन किया है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि चमेलीबाई (अ.सा.-7) और रंभाबाई (अ.सा.-8) के साक्ष्य पर आधारित है। मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और गुड्डू (अ.सा.-2) ने अभियोजन के मामले का केवल कुछ सीमा तक ही समर्थन किया।

6. **नामदेव** विरूद्ध **महाराष्ट्र राज्य, [(2007) 14 एससीसी 150]** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि *किसी तथ्य को सिद्ध करने या सिद्ध न करने के लिए साक्ष्य की गुणवत्ता आवश्यक है न कि उसकी संख्या*। यह स्पष्ट है कि भारतीय विधिक प्रणाली साक्षी गण की बहुलता पर जोर नहीं देती है। न तो विधायिका (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134) और न ही न्यायपालिका यह आदेश देती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने के लिए साक्षियों की एक विशेष संख्या होनी चाहिए। हमारी विधिक प्रणाली ने साक्षियों की *संख्या, बहुलता या प्रचुरता* के स्थान पर सदैव साक्ष्य के *मूल्य, महत्व और गुणवत्ता* पर बल दिया है। इसलिए, यह एक सक्षम न्यायालय के लिए यह संभव है कि वह पूर्णतः एकल साक्षी का अवलंब ले और दोषसिद्धि अभिलिखित करे।

7. **धरणीधर** विरूद्ध **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, [(2010) 7 एससीसी 759]** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते और वे न्यायालय के समक्ष सदैव मिथ्या साक्ष्य देंगे। यह सदैव दिए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। *जयाबालन विरूद्ध केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी,* [(2010) 1 एससीसी 199] में, इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि क्या हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य से निपटते समय एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य को केवल इसलिए अनदेखा या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित से निकटता से संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया गया है।.....

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा *राम भरोसे विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य,* (2010) 1 एससीसी 722 में अपनाया गया था, जहाँ न्यायालय ने विधि के सिद्धांत को दोहराया है कि मृतक का निकट संबंधी, स्वतः ही, एक हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता है। एक हितबद्ध साक्षी वह है जो प्रतिशोध या शत्रुता के कारण या विवादों के कारण किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में रुचि रखता है और केवल उसी आशय से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देता है न

कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि सुस्थापित है, जिसके अनुसार, हितबद्ध साक्षी के वृत्तांत को सिरे से नकारा नहीं जा सकता, परंतु उसे स्वीकार करने से पूर्व उसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए।"

8. **ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य** विरूद्ध **उत्तर प्रदेश राज्य, [एआईआर 2011 एससी 280]** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"21. मात्र इसलिए कि साक्षी मृतक व्यक्तियों से निकटता से संबंधित थे, उनके साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता। किसी एक पक्षकार से उनका संबंध साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, और विशेष रूप से, एक संबंधी वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। एक पक्षकार को तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करना होगा और दोषपूर्ण संलिप्तता के संबंध में त्रुटिहीन साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे सिद्ध करना होगा। हालांकि, ऐसे प्रकरणों में, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य है....."

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **वामन एवं अन्य** विरूद्ध **महाराष्ट्र राज्य,[ (2011) 7 एससीसी 295]** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया है:

"17. *बलराजे विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य,* [(2010) 6 एससीसी 673 ]में, इस न्यायालय ने यह अवधारित किया कि मात्र यह तथ्य कि साक्षी मृतक के संबंधी थे, उनके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यह आगे अवधारित किया गया कि जब चक्षुदर्शी साक्षियों को हितबद्ध और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाला बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। साक्ष्य की सत्यता या अन्यथा को व्यवहारिक रूप से तौला जाना चाहिए और न्यायालय के लिए संबंधित साक्षियों और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले उन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। ....."

19. ....."29. .... किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल अपराध के पीड़ित के साथ उसके संबंध के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि साक्ष्य विश्वसनीय है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो संबंधियों के साक्ष्य से संबंधित तर्क का कोई आधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं रह जाता है। ऐसे प्रकरण में, यदि झूठा फंसाने का तर्क दिया जाता है, तो बचाव पक्ष को इसका आधार तैयार करना होगा और न्यायालय को संबंधित साक्षियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य हैं। (देखें: *जरनैल सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य*, [(2009) 9 एससीसी 719]; *विष्णु विरूद्ध राजस्थान राज्य*, [(2009) 10 एससीसी 477] और *बलराजे*, [(2010) 6 एससीसी 673)]"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह निर्विवाद है कि रंभाबाई (अ.सा.-8) मृतक की विधवा है और चमेलीबाई (अ.सा.-7) मृतक की माता है। यह विधि नहीं है कि किसी हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य को एक कलंकित साक्षी या अनुमोदक के साक्ष्य के समान माना जाना चाहिए, जिसके लिए अनिवार्य रूप से संपुष्टी की आवश्यकता हो। एक हितबद्ध साक्षी का साक्ष्य अपने आप में किसी शिथिलता से ग्रस्त नहीं होता है, लेकिन न्यायालयों को विधि के नियम के रूप में नहीं, बल्कि सावधानी के नियम के रूप में ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की थोड़ी बारीकी से जांच करनी चाहिए। एक बार जब वह दृष्टिकोण अपनाया जाता है और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य में सत्यता का पुट है, तो ऐसे साक्ष्य पर संपुष्टि के बिना भी भरोसा किया जा सकता है। मात्र संबंधी होने के तथ्य से साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता। जब

चक्षुदर्शी साक्षियों को हितबद्ध और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाला बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1), गुड्डू (अ.सा.-2), चमेलीबाई (अ.सा.-7) और रंभाबाई (अ.सा.-8) का चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षण किया। अभियोजन ने सरिता (अ.सा.-3) का भी चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण किया था, परंतु वह पक्षद्रोही हो गई और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. गुड्डू (अ.सा.-2) ने कथन किया कि होली के त्योहार के दिन, वह भोजन करने के पश्चात अपने घर में सो रहा था. रात्रि लगभग 2 बजे, अपीलार्थीगण ने उसके घर पर पथराव किया। वह और उसके पिता मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) घर से बाहर आए। उन्होंने देखा कि अपीलार्थीगण *तलवार* और *डंडे* से सज्ज थे। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थीगण ने उस पर हमला किया। उसे सिर, दाहिने हाथ और पीठ पर क्षतियां आईं।

12. चमेलीबाई (अ.सा.-7) और रंभाबाई (अ.सा.-8) ने कथन किया कि होली के त्योहार के दिन, लगभग रात्रि 2 बजे, अपीलार्थीगण उनकी छत को क्षति पहुँचा रहे थे। उस समय, अपीलार्थीगण *टांगी* और *डंडे* लेकर तैयार थे। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थीगण ने मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2)

पर हमला किया। मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) वहाँ से भाग निकले। तत्पश्चात, अपीलार्थीगण घर में घुस गए और मृतक ज्ञानेश्वर पर हमला कर दिया और मृतक की मृत्यु उसे आई क्षतियों के कारण हो गई।

13. मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और पुलिस उप-अधीक्षक पी.सी. सोनकर (अ.सा.-13) ने कथन किया कि मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) ने पुलिस थाना कोतवाली, रायगढ़ में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-21) दर्ज कराई थी। घायल मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) को किरोड़ीमल शासकीय अस्पताल, रायगढ़ चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. अनिल कुमार कुशवाहा (अ.सा.-10) ने उनका परीक्षण किया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन (क्रमशः प्रदर्श पी-16 और पी-15) दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. डॉ. पी.के. मिश्रा (अ.सा.-9) ने कथन किया कि उन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-20) दिया, जिसमें, उन्होंने खोपड़ी की बाईं ललाट अस्थि पर अस्थि-भंग पाया। उन्होंने राय व्यक्त की कि मृतक की मृत्यु का कारण सिर की क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न कोमा था और मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानव वध थी।

15. मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। सरिता (अ.सा.-3), जो मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) की पड़ोसी थी, उसने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। गुड्डू (अ.सा.-2), जो

मृतक का भाई है, उसने अभियोजन के मामले का केवल कुछ हद तक समर्थन किया, लेकिन रंभाबाई (अ.सा.-8), जो मृतक की पत्नी है, और चमेलीबाई (अ.सा.-7), जो मृतक की माता है, ने स्पष्ट शब्दों में कथन किया कि अपीलार्थीगण उनके घर में घुसे और मृतक पर हमला किया और मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से भी होती है।

16. हमने चिकित्सा साक्ष्य का भी परिशीलन किया है। चिकित्सक ने राय दी थी कि मृतक की मृत्यु का कारण सिर की क्षति के कारण उत्पन्न कोमा था और मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानव वध थी। अतः, हमें विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिलती है कि अपीलार्थीगण ने मृतक के शरीर पर क्षतियां पहुँचाई थीं। मृतक की मृत्यु अपीलार्थीगण द्वारा पहुँचाई गई क्षतियों के कारण हुई थी और अपीलार्थीगण ने मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) पर भी हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब हम इस पर विचार करेंगे कि क्या अपीलार्थीगण का कोई सामान्य आशय था और क्या उसी के अनुसरण में उन्होंने मृतक की हत्या की।

18. यह सुस्थापित है कि कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को सिद्ध करने के लिए, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधान आकर्षित हों, निम्नलिखित दो मूलभूत तथ्यों का स्थापित होना आवश्यक है: (i) अपराध करने का सामान्य आशय और (ii) अपराध कारित करने में अभियुक्तों की सहभागिता। धारा 34

भा.दं.सं. को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त मृतक पर हमला करे। यह दर्शाना पर्याप्त है कि उन्होंने अपराध करने के लिए सामान्य आशय साझा किया और उसके अनुसरण में प्रत्येक ने अलग-अलग, समान या भिन्न कार्य करते हुए अपनी निर्दिष्ट भूमिका निभाई। धारा 34 भा.दं.सं. तब भी लागू होती है जब विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई क्षति न पहुँचाई गई हो। धारा 34 लागू करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य को दिखाना आवश्यक नहीं है।

19. वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण *टांगी* और *लाठी* से लिए हुए मृतक के घर के सामने आए और मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) के घर की छत पर पथराव किया। जब मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) घर से बाहर आए, तो अपीलार्थीगण ने उन पर हमला किया, जिसके कारण वे भाग गए। तत्पश्चात, अपीलार्थीगण घर में घुसे और मृतक पर हमला किया, जिससे मृतक के सिर में क्षति आई और उसने दम तोड़ दिया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा निभाई गई भूमिका मृतक की हत्या के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण मृतक द्वारा उकसाए गए थे। उनके बीच अपशब्दों का अपमान जनक प्रयोग हुआ था, इसलिए, अपीलार्थीगण का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302

के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा और वे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के दोषी होंगे।

21. **गुरुदेव सिंह** विरूद्ध **मध्य प्रदेश राज्य, [(2011) 5 एससीसी 721]** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "**25.** अभियुक्तों के इस तर्क के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में अभियुक्तों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 और 4 का लाभ उठाने का प्रयास किया गया है। अभियुक्तों की ओर से उठाए गए ऐसे तर्क पर विचार करने के लिए, हम धारा 300 भा.दं.सं. के उक्त अपवादों को उद्धृत कर सकते हैं, जो निम्नानुसार हैं:
>
> **"अपवाद 1. कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है** - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।"
>
> * * * * * *
>
> **"अपवाद 4.**— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।"

**26.** धारा 300 के अपवाद 1 से संबंधित विधि के संबंध में, हम के.एम. नानावती विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, [एआईआर 1962 एससी 605 (एआईआर पृ. 626, कंडिका 77)] का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने अवधारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) मृतक ने अभियुक्त को प्रकोपन दिया होना चाहिए,

(2) प्रकोपन गंभीर होना चाहिए,

(3) प्रकोपन अचानक होना चाहिए,

(4) उक्त प्रकोपन के कारण अपराधी अपनी आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया हो,

(5) उसने आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित रहने के दौरान ही मृतक की हत्या की हो, और

(6) अपराधी ने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो जिसने

प्रकोपन दिया था, या भूल या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो।"

**27.** धारा 300 के अपवाद 4 के संबंध में, हम *कुलेश मोण्डल विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य,* [(2007) 8 एससीसी 578] का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने अवधारित किया है: (एससीसी पृ. 581, कंडिका 12-13)

"12. अवशिष्ट याचिका धारा 300 भा.दं.सं. के अपवाद 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है, क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी।

13. इसे प्रभावी करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कृत्य बिना किसी पूर्व-चिंतन के, अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना कारित किया गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**28.** *बाबुलाल भगवान खण्डारे विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य,* [(2005) 10 एससीसी 404] में, इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 और 4 से संबंधित विधि का निम्नलिखित शब्दों

में विस्तृत विवरण दिया है: (एससीसी पृपृ. 410-11, कंडिका 17-19)

17. धारा 300 भा.दं.सं. का चौथा अपवाद अचानक हुई लड़ाई में किए गए कृत्यों को समाहित करता है। कथित अपवाद अभियोजन पक्ष (प्रकोपन) के ऐसे प्रकरण से संबंधित है जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। यह अपवाद उसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में ही पूर्व-चिंतन का अभाव होता है। किंतु, जहाँ अपवाद 1 के प्रकरण में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव होता है, वहीं अपवाद 4 के मामले में केवल आवेश की तीव्रता होती है जो मनुष्य के शांत विवेक पर छा जाती है और उसे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वह अन्यथा नहीं करता। अपवाद 4 में भी अपवाद 1 की भांति ही प्रकोपन होता है; किंतु कारित की गई क्षति उस प्रकोपन का सीधा परिणाम नहीं होती है। यथार्थ में अपवाद 4 उन प्रकरणों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई प्रहार किया गया हो, या विवाद की उत्पत्ति में कोई प्रकोपन दिया गया हो या झगड़ा किसी भी प्रकार उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का उत्तरवर्ती आचरण उन्हें दोष के संबंध में समान स्तर पर खड़ा कर देता है। 'अचानक लड़ाई' का तात्पर्य आपसी प्रकोपन और दोनों ओर

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से प्रहार होना है। तब कारित किया गया मानव वध स्पष्ट रूप से एकपक्षीय प्रकोपन का परिणाम नहीं माना जा सकता, और न ही ऐसे प्रकरणों में पूरा दोष एक पक्ष पर मढ़ा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अपवाद 1 अधिक उपयुक्त रूप से लागू होता।

18. अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है यदि मृत्यु कारित की गई हो: (क) बिना पूर्व-चिंतन के; (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई उस व्यक्ति के साथ हुई हो जिसकी हत्या की गई है। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए, इसमें वर्णित सभी अवयवों का पाया जाना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 300 भा.दं.सं. के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' को भा.दं.सं. में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आवेश की तीव्रता के लिए यह आवश्यक है कि आवेश को शांत होने के लिए समय न मिला हो और इस मामले में, शुरुआत में हुए मौखिक विवाद के कारण दोनों पक्ष अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संघर्ष है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

'अचानक झगड़ा' किसे माना जाएगा, इसके संबंध में कोई सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और कोई झगड़ा अचानक है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रकरण के साबित तथ्यों पर निर्भर करेगा। अपवाद 4 के लागू होने के लिए केवल यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य रीति से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त पद 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'अन्यायपूर्ण लाभ' है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहाँ अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूर या अप्रायिक रीति से कार्य करता है, वहाँ उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हमलावर द्वारा उपयोग किया गया हथियार या हमले का तरीका पूर्णतः अनुपातहीन है, तो उस परिस्थिति पर यह निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। *किकर सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य, (1993) 4 एससीसी 238* में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि अभियुक्त ने निहत्थे व्यक्ति के विरुद्ध घातक हथियारों का उपयोग किया और सिर पर प्रहार किया, तो यह माना

जाना चाहिए कि इस ज्ञान के साथ प्रहार करके कि उनसे मृत्यु कारित होना संभावित है, उसने अनुचित लाभ उठाया था।"

22. **अरुण राज** विरूद्ध **भारत संघ एवं अन्य, (2010) 6 एससीसी 457** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"**17**. 'प्रकोपन के सिद्धांत' की परिधि को विस्काउंट साइमन द्वारा *मैन्सिनी विरूद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर,* 1942 एसी 1 : (एसी पृ. 9) में व्यक्त किया गया थाः

"प्रत्येक प्रकोपन ऐसा नहीं होता जो हत्या के अपराध को 'मानव वध' में कम कर देगा। प्रकोपन का परिणाम ऐसा होना चाहिए जो प्रकोपित व्यक्ति को अस्थायी रूप से आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दे, जिसके परिणामस्वरूप वह वह विधि-विरुद्ध कृत्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है।.....लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि एक सामान्य व्यक्ति पर उस प्रकोपन का क्या प्रभाव होगा, जैसा कि *आर. विरूद्ध लेस्बीनी,* [(1914) 3 केबी 1116 (सीसीए)] में 'कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील' द्वारा निर्धारित किया गया था, ताकि कोई असामान्य रूप से उत्तेजित या झगड़ालू व्यक्ति उस प्रकोपन पर भरोसा करने का हकदार न हो, जिससे कारण एक सामान्य व्यक्ति वैसा व्यवहार न करता जैसा उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया। परीक्षण को लागू करने में, (क) यह विचार करना विशेष महत्व का है कि क्या प्रकोपन के बाद से एक सामान्य व्यक्ति को शांत होने के लिए पर्याप्त समय बीत चुका है, और (ख) उस हथियार को ध्यान में रखना जिससे मानव वध किया गया था। प्रकोपन से उत्पन्न आवेश की तीव्रता में, एक साधारण थप्पड़ का जवाब देने के लिए, एक घातक हथियार जैसे कि गुप्त खंजर का उपयोग करना एक बहुत ही अलग बात है। संक्षेप में, यदि अपराध को 'मानव वध' में कम किया जाना है, तो प्रतिशोध के तरीके का प्रकोपन के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में निर्णायक कारक आशायित क्षति है, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह महत्वहीन है कि क्या अपराधी को यह ज्ञान था कि उस प्रकार के कृत्य से मृत्यु कारित होना संभावित होगा। अपराधी का परिणाम के संबंध में व्यक्तिपरक ज्ञान असंगत है। आशयपूर्वक कारित क्षति के परिणाम को वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या अपराधी का ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने का आशय था, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, पृथक करने वाले कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जैसे कि वह बल जिसके साथ प्रहार किया गया है, उपयोग किए गए हथियार का

प्रकार, महत्वपूर्ण अंग या शरीर का वह विशिष्ट स्थान जिसे लक्षित किया गया था, कारित क्षति की प्रकृति, अपराध का उद्भव और उत्पत्ति तथा मृत्यु के समय उपस्थित परिस्थितियाँ।

24. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थीगण का यह बचाव कि यह प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के उपरोक्त अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्यों से समर्थित नहीं होता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से हम पाते हैं कि प्रकोपन मृतक की ओर से नहीं आया था। अपीलार्थीगण मृतक के घर के सामने आए, घर की छत पर पथराव किया, घर में प्रवेश किया और मृतक पर हमला किया तथा उसके सिर पर *टांगी* और *लाठी* से प्रहार किए। मृतक के शरीर पर ललाट अस्थि का फ्रैक्चर और कुछ कटे हुए घाव पाए गए थे। मृतक को आई क्षतियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि अपीलार्थीगण में से किसी एक द्वारा *टांगी* के धारदार हिस्से का उपयोग काफी बल के साथ किया गया था और क्षतियां शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर कारित की गई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अपीलार्थीगण द्वारा उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, जिस प्रकार से उन्होंने मृतक पर हमला किया, उनके द्वारा किए गए प्रहारों की तीव्रता और शरीर का वह हिस्सा जिसे उन्होंने प्रहार के लिए चुना, यह दर्शाते हैं कि उनका आशय मृतक की हत्या करना और साथ ही मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) और गुड्डू (अ.सा.-2) पर हमला करना था।

26. हमारा सुविचारित मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। तदनुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूर्णतः न्यायोचित है।

27. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 302/34, 323, 323, 323/34 और 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और दंडादिष्ट किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. हमने ऊपर विचार विमर्श किया है कि अपीलार्थीगण ने सामान्य आशय साझा किया था और उसी के अनुसरण में उन्होंने मृतक पर हमला कर उसकी हत्या की और मैनेजर उर्फ मनीराम (अ.सा.-1) तथा गुड्डू (अ.सा.-2) को क्षतियां पहुँचाईं। अतः, अपीलार्थीगण मात्र धारा 302/34, 323/34 और 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत ही दोषी हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें धारा 302 और 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अलग-अलग दंडित करना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण मात्र धारा 302/34, 323/34 और 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

29. परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण को उपरोक्त रीति से दी गई दोषसिद्धि को निरस्त किया जाता है। इसके स्थान पर, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा

302/34, 323/34 और 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। धारा 302/34, 323/34 और 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपीलार्थीगण को दिए गए दण्डादेशों की पुष्टि की जाती है। उपरोक्त संक्षिप्त संशोधन के साथ, अपील खारिज की जाती है।

**हस्ताक्षर/-** **हस्ताक्षर/-**

**सुनील कुमार सिन्हा** **आर.एस. शर्मा**

**न्यायाधीश** **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By Adv Somesh Kashyap**